>

Title: Need to stop illegal mining of sand in Balrampur, Uttar Pradesh.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): मेरे संसदीय क्षेत्र में जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में तहसील तुलसीपुर एवं बलरामपुर में हो रहे बालू मोरंग के अवैध खनन से जनजीवन, सड़क एवं महत्वपूर्ण पुलों, वन्य जीवों तथा संरक्षित वन क्षेत्र को क्षति पहुंचाया जाने के संबंध में।

जनपद बलरामपुर में खैरहनिया/धोबनिया/जगथरा एवं नैकिनिया में आवंटित रकबों से सैकड़ों एकड़ से अधिक अवैध खनन की अनदेखी ही नहीं की जा रही है, बल्कि यह भी संज्ञान में आया है कि उन पर अवैध खनन को लेकर लगाए गए अर्थदण्ड को भी अवैध तरीके से माफ कर दिया गया अथवा जुर्माना नहीं वसूला गया जिससे अवैध खनन को बढ़ावा ही नहीं बल्कि शासन एवं प्रशासन का संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा असुरक्षित हो रही है बल्कि करोड़ों की लागत से बनाए गए सड़क पुल/रेलवे पुल, विद्यालय एवं वन क्षेत्र शिवालिक से निकलने वाले नालों एवं राप्ती नदी द्वारा बरसात में हो रहे कटान से निप्रयोज्य व बर्बाद हो रहे हैं, जोकि पिछड़े हुए जनपद की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वन के कटाव के साथ ही साथ वन्य जीवों एवं पर्यटन स्थलों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

गत बरसात में सात गांवों का वन कटाव के कारण अस्तित्व समाप्त हो गया, वहीं खरगौर पुल/कोड़री पुल एवं चौधरीडीह-तुलसीपुर मार्ग लालिया-कौव्वापुर मार्ग अपना अस्तित्व खो चुका है। पर्यावरण एवं जंगल पर भारी खतरा है। वहीं नक्सल गतिविधियां भी जन्म लेती जा रही हैं। दो दशक पूर्व बोल्डरों की खदान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी।

अतः मेरा अनुरोध है कि क्षेत्र में मोरंग के खनन से हो रहे नुकसान को देखते हुए अवैध खनन के विरूद्ध जुर्माना राजस्व की भांति वसूला जाए एवं सभी पट्टों को निरस्त किया जाए।